रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15072024-255452
CG-DL-E-15072024-255452

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2634]	नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 15, 2024/आषाढ 24, 1946
No. 2634]	NEW DELHI, MONDAY, JULY 15, 2024/ASHADHA 24, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईज़ेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2024

का.आ. 2770(अ).— यत:, मै. मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो एक निजी संगठन है, ने कर्नाटक राज्य के जिला बंगलौर के ग्राम रचनाहल्ली, नागावारा एवं तानिसंद्रा में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं (जिसमे एलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर भी शामिल है) के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और, यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.1980(अ) दिनांक 16 नवंबर, 2006 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 22.348 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित किया था। इसके बाद, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 388(अ) दिनांक 06 मार्च, 2012, ओर का.आ. 3842(अ) दिनांक 29 अगस्त, 2023 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में दो अतिरिक्त क्षेत्रों (1.8600 हेक्टेयर

और 5.0917 हेक्टेयर) अधिसूचित एवं दो आंशिक क्षेत्र (3.0980 हेक्टेयर ओर 2.10 हेक्टेयर) को अनधिसूचित किया गया था;

और यतः, मै. मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में से 4.9026 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और, यतः, कर्नाटक सरकार ने पत्र संख्या सीआई 377 एसपीआई 2023 दिनांक 25 जनवरी, 2024 के तहत प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है;

और, यतः, विकास आयुक्त, कोचीन विशेष आर्थिक जोन ने 4.9026 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की सिफारिश की है;

और, यतः, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) और अन्य संबंधित आवश्यकताओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 4.9026 हेक्टेयर के क्षेत्र को उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः एसइजेड का कुल क्षेत्रफल 19.1991 हेक्टेयर हो जाएगा। अनधिसूचना के लिए निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित सर्वे संख्यायें और क्षेत्र शामिल है, अर्थात्:-

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्र. सं.	गाँव का नाम	सर्वे संख्या	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	रचनाहल्ली	17(भाग)	1.5081
2.		18(भाग)	0.2000
3.		19(भाग)	0.3000
4.		22(भाग)	1.5384
5.		23(भाग)	0.6377
6.	तानीसन्दरा	58(भाग)	0.3238
7.		59(भाग)	0.3946
कुल अनधिसूचित क्षेत्रफल			**4.9026**
उपयुक्त अनधिसूचना के पश्चात् एसईजेड का कुल अधिसूचित क्षेत्रफल			**19.1991**

[फा. सं. एफ. 2/96/2005-एसईजेड]

विमल आनंद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ Section)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2024

S.O. 2770(E).— Whereas, M/s. Manyata Promoters Private Limited, a private organisation, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up an Information Technology and Information Technology Enabled Services (including Electronic Hardware and Software) Special Economic Zone at Villages Rachenahalli, Nagavara and Tanisandra, District Bangalore, in the State of Karnataka;

AND, WHEREAS, the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 22.348 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 1980(E) dated 16th November, 2006. Subsequently, vide Ministry of Commerce and Industry Notification S.O. 388(E) dated 06th March, 2012 and S.O. 3842 (E) dated 29.08.2023 two additional areas (1.8600 hectares and 5.0917 hectares) were notified and two partial area (3.0980 hectares and 2.10 hectares) were de-notified at the above Special Economic Zone, respectively;

AND, WHEREAS, M/s. Manyata Promoters Private Limited has now proposed for de-notification of 4.9026 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Karnataka has given its approval to the proposal vide letter No. CI 377 SPI 2023 dated 25th January, 2024;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Cochin SEZ has recommended the proposal for de-notification of an area of 4.9026 hectares of the Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 4.9026 hectares, thereby making resultant area as 19.1991 hectares. The Survey numbers and the area for de-notification are given below in the table, namely: -

Table for De-notification area

Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Total area (in hectares)
1.	Rachenahalli	17(P)	1.5081
2.		18(P)	0.2000
3.		19(P)	0.3000
4.		22(P)	1.5384
5.		23(P)	0.6377
6.	Tanisandra	58(P)	0.3238
7.		59(P)	0.3946
Total area for de-notification			**4.9026**
Total notified area of the SEZ after above de-notification			**19.1991**

[F. No. F.2/96/2005-SEZ]

VIMAL ANAND, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA